पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1743

दिनांक-24.09.2026

जोन-पश्चिमी/थाना- पारा

- **थाना पारा पुलिस टीम द्वारा पतौरा मोड़ पर हुई गोलीबारी की घटना का किया गय सफल अनावरण।**
- **वादी पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग करने वाले 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**
- **अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त 01 अदद लाइसेंसी .32 बोर पिस्टल, मय मैगजीन, जिन्दा एवं 01 खोखा कारतूस बरामद ।**

01- संक्षिप्त विवरण

दिनांक **23.09.2026** को समय करीब **21:00 बजे** थाना पारा क्षेत्रान्तर्गत पतौरा मोड़ पर वादी **इमरान अली** द्वारा वर्ष 2024 में दिए गए **02 लाख रुपये की उधारी** वापस मांगने पर अभियुक्त **निसार अली** द्वारा वादी के साथ गाली-गलौज एवं मारपीट की गई तथा जान से मारने की नीयत से अपनी लाइसेंसी .32 बोर पिस्टल से फायर किया गया। गोली वादी इमरान अली के दाहिने पैर में लगी, जिससे वह घायल हो गया।

घटना के संबंध में वादी के प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना पारा पर **मु0अ0सं0 669/2026 धारा 352/109(1) बीएनएस** पंजीकृत किया गया।

विवेचना के क्रम में थाना पारा पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त **निसार अली** को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशानदेही पर पतौरा मोड़ से बुद्धेश्वर की ओर जाने वाली सर्विस लेन पर खड़ी एक कबाड़ कार के अंदर से घटना में प्रयुक्त **लाइसेंसी .32 बोर पिस्टल, 01 मैगजीन, 03 जिन्दा कारतूस .32 बोर एवं 01 खोखा कारतूस .32 बोर** बरामद किया गया।

घटनास्थल पर फॉरेंसिक फील्ड यूनिट की मौजूदगी में रक्त के नमूने एवं सादा कॉटन स्वाब भी संकलित किए गए। बरामदगी के आधार पर अभियोग में **धारा 27/30 आर्म्स एक्ट** की वृद्धि की गई है। अभियुक्त के लाइसेंसी शस्त्र के निरस्तीकरण हेतु रिपोर्ट प्रेषित की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02- अभियुक्त से पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त से पूछताछ में उसके द्वारा बताया गया कि वादी इमरान अली रिश्ते में उसके सगे भाई का साला है। अभियुक्त के अनुसार, वर्ष 2024 में पारिवारिक आवश्यकता के कारण उसने इमरान अली से **02 लाख रुपये नकद उधार** लिए थे। आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण वह उक्त धनराशि वापस नहीं कर पा रहा था।

अभियुक्त के कथनानुसार, दिनांक 23.09.2026 की रात्रि पतौरा मोड़ पर इमरान अली द्वारा रुपये वापस मांगने को लेकर कहासुनी हुई, जिसके दौरान गुस्से में आकर उसने अपनी लाइसेंसी .32 बोर पिस्टल से इमरान अली पर फायर कर दिया, जिससे गोली उसके दाहिने पैर में लगी।

03- गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

01-निसार अली पुत्र स्व0 मुमताज अली, निवासी ग्राम हरौनी, थाना बंथरा, जनपद लखनऊ, हाल पता- बी होप हॉस्पिटल के सामने वाली गली, दुल्लूखेड़ा, थाना पारा, लखनऊ, उम्र करीब 43 वर्ष।

04- सम्बन्धित अभियोग का विवरण-

01-मु0अ0सं0 **669/2026**, धारा **352/109(1) बीएनएस व 27/30 आर्म्स एक्ट**, थाना पारा, कमिश्नरेट लखनऊ।

05- बरामदगी-

- घटना में प्रयुक्त 01 अदद लाइसेंसी पिस्टल .32 बोर।
- 01 अदद मैगजीन।
- 03 अदद जिन्दा कारतूस .32 बोर।
- 01 अदद खोखा कारतूस .32 बोर।

06- गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम, थाना पारा, कमिश्नरेट लखनऊ-

1. श्री सुरेश सिंह, प्रभारी निरीक्षक, थाना पारा, कमिश्नरेट लखनऊ।
2. उ0नि0 श्री सुबे चन्द्र यादव, थाना पारा, कमिश्नरेट लखनऊ।
3. उ0नि0 श्री अजय कुमार पटेल, थाना पारा, कमिश्नरेट लखनऊ।
4. उ0नि0 श्री लल्लू सिंह चौहान, थाना पारा, कमिश्नरेट लखनऊ।
5. हे0का0 अरूण कुमार, थाना पारा, कमिश्नरेट लखनऊ।
6. का0 नरेश कुमार, थाना पारा, कमिश्नरेट लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1742
दिनांक-23.09.2026

जोन-मध्य / थाना-हसनगंज

- **थाना हसनगंज पुलिस द्वारा 01 नफर वारण्टी / अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

01-संक्षिप्त विवरण-

थाना स्थानीय पर दिनांक 15.09.2026 को मा0न्यायालय ए0डी0जे0-16 महोदय लखनऊ द्वारा निर्गत NBW वारण्टी वाद सं0-581/2012 अपराध सं0 164/2011 धारा 41/411/413/414/467/468/471 भादवि थाना हसनगंज लखनऊ उम्र करीब 35 वर्ष से सम्बन्धित NBW वारण्टी अभियुक्त की सुरागरसी–पतारसी हेतु उ0नि0 श्री राजकुमार तिवारी गिरफ्तारी/दविश कार्यवाही हेतु रवाना थे।

02-कार्यवाही का विवरण-

दिनांक 23.09.2026 को उ0नि0 श्री राजकुमार तिवारी द्वारा मा0न्यायालय ए0डी0जे0-16 महोदय लखनऊ द्वारा निर्गत NBW वारण्टी वाद सं0-581/2012 अपराध सं0 164/2011 धारा 41/411/413 /414/467/468/471 भादवि थाना हसनगंज लखनऊ सम्बन्धित NBW वारण्टी अभियुक्त की तलाश पतारसी सुरागरसी हेतु थाना तम्बौर सीतापुर रवाना थे।

अभियुक्त के दिये गये पते पर जाकर दबिश दी गई तो वारण्टी अभियुक्त धरमवीर पुत्र राम स्वरुप निवासी गुडियन टोला थाना तम्बौर जिला सीतापुर उम्र करीब 35 वर्ष घर के बाहर मौजूद मिला मा0 न्यायालय के आदेश से अवगत कराकर नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। NBW वारण्टी को गिरफ्तार कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. धरमवीर पुत्र राम स्वरुप निवासी गुडियन टोला थाना तम्बौर जिला सीतापुर उम्र करीब 35 वर्ष

04-पंजीकृत/अनावरित अभियोग का विवरण-

1. NBW वाद सं0- 581/2012 अपराध सं0 164/2011 धारा 41/411/413/414/467/468/471 भादवि थाना हसनगंज लखनऊ।

नोट- अभियुक्त के आपराधिक इतिहास के बारे में अन्य थाना/इकाई/जनपदों से जानकारी की जा रही है।

04- गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री राजकुंमार तिवारी थाना हसनगंज लखनऊ।
2. का0 शुभम मिश्रा थाना हसनगंज लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1744
दिनांक-24.09.2026

जोन-पश्चिमी / थाना-नाका हिण्डोला

- **थाना नाका हिण्डोला पुलिस की मानवीय पहल**
- **मुजफ्फरपुर से लखनऊ पहुंचे गुमशुदा वृद्ध व्यक्ति को पुलिस ने अथक प्रयास कर सकुशल तलाशा, परिजनों से मिलाया**

01-कार्यवाही विवरण-

थाना नाका हिण्डोला पर श्री गोकुल जोशी पुत्र श्री लोकराज जोशी, निवासी कंचनपुर, नगर पालिका थाना ओढ़ा नं0-09, नेपाल द्वारा सूचना दी गई कि उनके पिता श्री लोकराज जोशी, उम्र लगभग 50 वर्ष, काम के सिलसिले में मुजफ्फरपुर, बिहार से ट्रेन के माध्यम से दिनांक 17.09.2026 को लखनऊ रेलवे स्टेशन आए थे। लखनऊ पहुंचने के उपरान्त उनका मोबाइल फोन स्विच ऑफ हो गया तथा परिजनों से उनका संपर्क नहीं हो सका।

सूचना को गंभीरता से लेते हुए थाना नाका हिण्डोला पुलिस टीम द्वारा तत्काल गुमशुदा व्यक्ति की तलाश हेतु प्रयास प्रारम्भ किए गए। पुलिस टीम द्वारा चारबाग रेलवे स्टेशन एवं आसपास के अन्य प्रमुख स्थानों के लगभग 75 सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले गए। साथ ही गुमशुदा व्यक्ति के फोटो को विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर दिखाकर स्थानीय लोगों एवं अन्य व्यक्तियों से जानकारी प्राप्त की गई।

पुलिस टीम के निरंतर प्रयास एवं तत्परता के फलस्वरूप आज दिनांक 24.09.2026 को श्री लोकराज जोशी को सकुशल तलाश कर लिया गया। आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही पूर्ण करने के उपरान्त उन्हें उनके परिजनों के सुपुर्द किया गया। अपने परिजन को सकुशल पाकर परिजनों द्वारा थाना नाका हिण्डोला पुलिस के प्रति आभार व्यक्त किया गया।

02-तलाश करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 मोनू कुमार, थाना नाका हिण्डोला, लखनऊ।
2. उ0नि0 विश्वजीत सिंह, थाना नाका हिण्डोला, लखनऊ।
3. का0 सुधीर कुमार, थाना नाका हिण्डोला, लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0- 1745
दिनांक- 24.09.2026

जोन-पूर्वी / थाना-चिनहट

- **थाना चिनहट पुलिस टीम द्वारा घर मे चोरी करने वाला 01 शातिर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार**
- **कब्जे से चोरी किया सामान बरामद ।**

01-संक्षिप्त विवरण-

थाना स्थानीय पर दिनांक 30.07.2026 को वादी मुकदमा विनय कुमार तिवारी पुत्र अवध नारायण तिवारी निवासी बी-5 ओम साई विष्णू विहार कालोनी कान्तिपुरम मटियारी थाना चिनहट लखऊ के द्वारा अभियुक्त धीरज द्वारा घऱ से सिलेण्डर व कपड़े व अन्य सामान चोरी कर लेने विषयक संबन्ध में 405/206 धारा 305(a) बीएनएस बनाम-1.धीरज पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना उ0नि0 धीरेन्द्र राय द्वारा सम्पादित की जा रही है।

अभियुक्त की गिरफ्तारी व सामान की बरामदगी हेतु उपरोक्त घटना का संज्ञान लेते हुए प्रभारी निरीक्षक चिनहट द्वारा तत्काल टीम गठन किया गया। गठित टीम द्वारा घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया गया। गठित टीम द्वारा घर से चोरी करने वाला अभियुक्त धीरज उपरोक्त को मुखविर खास की सूचना पर शिवपुरी चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 01 अदद गैस सिलेन्डर, 02 अदद साडी, नकद 310 रुपये बरामद किया गया।

विवेचक उपरोक्त द्वारा बरामदगी व अन्य साक्ष्य संकलन के आधार पर धारा-317(2) बीएनएस की बढ़ोतरी की गयी तथा अभियुक्त उपरोक्त के हिरासत पुलिस लेकर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02- गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. धीरज पुत्र रघुनाथ निवासी ग्राम जसमन्डा थाना माती जनपद बाराबंकी उम्र करीब 35 वर्ष

03-पंजीकृत/अनावरित अभियोग का विवरण-

01 मु0अ0सं0 405/26 धारा 305(a)/317(2) बीएनएस थाना चिनहट लखनऊ

नोट- अभियुक्त के आपराधिक इतिहास के बारे में अन्य थाना/इकाई/जनपदों से जानकारी की जा रही है।

04. बरामदगी-

- 01 अदद गैस सिलेन्डर,
- 02 अदद साडी,
- नकद 310 रुपये

05- गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 धीरेन्द्र राय थाना चिनहट जनपद लखनऊ
2. हे0का0 आनन्द सिंह थाना चिनहट जनपद लखनऊ
3. का0 विनय शुक्ला थाना चिनहट जनपद लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1746
दिनांक-24.09.2026

जोन-पूर्वी / थाना-चिनहट

- **थाना चिनहट पुलिस टीम द्वारा वादी के साथ मारपीट व उसकी नाबालिक पुत्री के साथ अभद्रता करने के आरोपी / अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

01-संक्षिप्त विवरण-

थाना चिनहट पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 353/26 धारा 115(2)/352/351(3) बीएनएस व बढ़ोत्तरी धारा 74 बीएनएस व 7/8 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित नामजद अभियुक्त राहुल तिवारी पुत्र राजेश तिवारी निवासी हरदाशी खेड़ा थाना चिनहट लखनऊ उम्र-30 वर्ष के डुडा कालोनी हरदाशी खेड़ा से गिफ्तार किया गया। जिसको हिरासत पुलिस में लेकर गिरफ्तार कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

02- कार्यवाही का विवरण-

थाना स्थानीय पर दिनांक 29.06.2026 को वादी मुकदमा द्वारा विपक्षीगण द्वारा वादी के साथ मारपीट करने, जान से मारने की धमकी व वादी की पुत्री के साथ बदतमीजी करने विषयक, संबन्ध में 353/26 धारा 115(2)/352/351(3) बीएनएस बनाम-1.राहुल तिवारी पुत्र राजेश तिवारी 2.राजेश तिवारी पुत्र स्व.क्षिमापति तिवारी निवासीगण हरदासीखेडा कमता थाना चिनहट लखनऊ पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना उ0नि0 रितेश सिंह द्वारा सम्पादित की जा रही है।

विवेचक उपरोक्त द्वारा साक्ष्य संकलन व सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन से मुकदमा उपरोक्त में धारा-74 बीएनएस 7/8 पाक्सो एक्ट की बढ़ोतरी की गयी। प्रभारी निरीक्षक द्वारा उपरोक्त घटना का संज्ञान लेते हुए अभियुक्त उपरोक्त की गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया गया। गठित टीम द्वारा आज दिनांक 24.09.2026 को उपरोक्त अभियोग में नामजद अभियुक्त राहुल तिवारी उपरोक्त को गिरफ़्तार किया गया। अभियुक्त उपरोक्त को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

03- गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. राहुल तिवारी पुत्र राजेश तिवारी निवासी हरदाशी खेड़ा थाना चिनहट लखनऊ उम्र करीब 30 वर्ष

04-पंजीकृत/अनावरित अभियोग का विवरण-

01 मु0अ0सं0 353/26 धारा 115(2)/352/351(3)/74 बीएनएस 7/8 पाक्सो एक्ट थाना चिनहट लखनऊ

05-राहुल तिवारी उपरोक्त का आपराधिक इतिहासः

1. मु0अ0सं0-334/24 धारा-75/78 बीएनएस 11/12 पाक्सो एक्ट थाना इन्दिरानगर लखनऊ
2. मु0अ0सं0-323/23 धारा-147/323/325/427/504/506 भादवि थाना चिनहट
3. मु0अ0सं0-908/21 धारा-323/504/506/427 भादवि थाना चिनहट
4. मु0अ0सं0-892/21 धारा- 325/323/504/506 भादवि व 3(2)(5) एससी/एसटी भादवि थाना चिनहट
5. मु0अ0सं0-1211/19 धारा- 498ए/323/504 भादवि व ¾ डीपी एक्ट भादवि थाना चिनहट

नोट- अभियुक्त के आपराधिक इतिहास के बारे में अन्य थाना/इकाई/जनपदों से जानकारी की जा रही है।

06- गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 अभय सिंह थाना चिनहट जनपद लखनऊ
2. उ0नि0 रितेश सिंह थाना चिनहट जनपद लखनऊ
3. हे0का0 गजेन्द्र प्रताप सिंह थाना चिनहट जनपद लखनऊ
4. का0 आशुतोष सिंह थाना चिनहट लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1747

दिनांक-22.09.2026

जोन- दक्षिणी/ थाना-बन्थरा

- **थाना बंथरा पुलिस द्वारा 03 चोर/अभियुक्त को किया गिरफ्तार व एक बाल अपचारी को संरक्षण में लिया गया।**

01-कार्यवाही विवरण:-

श्रीमान पुलिस आयुक्त, लखनऊ श्री तरुण गाबा एवं संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध एवं मुख्यालय) श्रीमती अपर्णा कुमार के निर्देशानुसार अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस उपायुक्त दक्षिणी श्री मो0 मुश्ताक के कुशल निर्देशन एवं अपर पुलिस उपायुक्त श्री रल्लापल्ली वसंथ कुमार के कुशल पर्यवेक्षण तथा सहायक पुलिस आयुक्त कृष्णानगर श्री अभिषेक कुमार पाण्डेय के मार्गदर्शन एवं प्रभारी निरीक्षक बन्थरा श्री राणा राजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा में 03 चोर/अभियुक्त को किया गिरफ्तार व एक बाल अपचारी को संरक्षण में लिया गया।

02-संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक-23.09.2026 को थाना बन्थरा पर वादी विकास साहू पुत्र रामचन्द्र साहू निवासी अम्बरपुर बंथरा द्वारा लिखित प्रा0पत्र दिया गया जिसमें वादी के ऑटो रिक्शा का चार्जर चोरी करने के संबंध में थाना बन्थरा पर मु0अ0सं0-320/2026 धारा- 303(2) बी0एन0एस0 बनाम 1.आलोक रावत, 2.शिवा, 3.विशाल मौर्या व एक बाल अपचारी, निवासीगण ग्राम अम्बरपुर बन्थरा सिकन्दरपुर थाना बन्थरा लखनऊ के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

दिनांक 10.08.2026 को वादी मुकदमा श्री निकोलस पुत्र उमेश कुमार निवासी तिवारी पुर बसिया जाजमऊ पूर्वी कानपुर नगर उत्तर प्रदेश द्वारा लिखित प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें अज्ञात चोरो द्वारा वादी के निर्माणाधीन घर में ताला तोड़कर घर मे घुसकर तार का बंडल अन्य सामान चोरी कर लेने के सम्बन्ध में थाना बनंथरा पर मु0अ0सं0-263/2026,धारा-305(ए)/331(4)/317(2) बी0एन0एस0 बनाम अज्ञात के विरूद्ध पंजीकृत किया गया।

अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु पुलिस उपायुक्त दक्षिणी के निर्देशन में 03 पुलिस टीम का गठन किया गया। गठित पुलिस टीम द्वारा टैक्निकल, मैनुअल एवं स्थानीय सूचना तंत्र के माध्यम से अभियुक्त आलोक उपरोक्त आदि 03 नफर को आज दिनांक-23.09.2026 को गिरफ्तार किया गया व एक बाल अपचारी को पुलिस संरक्षण में लिया गया। वैधानिक कार्रवाई पूर्ण कर अभियुक्त आलोक उपरोक्त आदि 03 नफर को माननीय न्यायालय के समक्ष व एक बाल अपचारी को किशोर बोर्ड न्यायलय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

03-पूछताछ का विवरण:-

पूछने पर हम अभियुक्तगण ने बताया कि साहब, हम सभी आपस में दोस्त हैं। हम लोग अपने शौक एवं खर्चों को पूरा करने और लालच मे आकर मिल-जुलकर चोरी करते थे। हम सभी ने गोल्डन सिटी में निर्माणाधीन एक मकान का ताला तोड़ा और मकान के अंदर घुसकर वहाँ लगे बिजली के तार चोरी कर लिये थे। इसके बाद हम लोगों ने ई-रिक्शा की बैट्री का चार्जर चोरी कर लिया था। चोरी किए गए सामान को बेचने के लिए जा रहे थे कि पुलिस द्वारा हमें पकड लिया गया। साहब हमसे गलती हो गयी, हमें माफ कर दीजिए।

04-गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरणः-

1. आलोक रावत पुत्र कमलेश रावत उम्र 19 वर्ष, निवासी- ग्राम अम्बरपुर बन्थरा सिकन्दरपुर थाना बन्थरा लखनऊ।
2. शिवा पुत्र शिवप्रसाद 19 वर्ष, निवासी- ग्राम अम्बरपुर बन्थरा सिकन्दरपुर थाना बन्थरा जनपद लखनऊ।
3. विशाल मौर्या पुत्र स्व0 कृष्णपाल उम्र 21 वर्ष, निवास ग्राम अम्बरपुर बन्थरा सिकन्दरपुर थाना बन्थरा लखनऊ
4. **एक बाल अपचारी को संरक्षण में लिया गया।**

05-अनावरित अभियोग का विवरणः-

- मु0अ0सं0-320/2026, धारा-303(2)/317(2) बी0एन0एस0 थाना बन्थरा, जनपद, लखनऊ।
- मु0अ0सं0-263/2026,धारा-305(ए)/331(4)/317(2) बी0एन0एस0 थाना बन्थरा, जनपद, लखनऊ।

06- बरामदगी विवरणः-

- 01 अदद ई- रिक्शा का चार्जर व तार बरामद।

07-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

- थाना बन्थरा पुलिस टीम, कमिश्नरेट लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1741
दिनांक-24.09.2026

जोन-उत्तरी/थाना- अलीगंज

- **थाना अलीगंज पुलिस द्वारा रिध्या प्लाजा साइबर फ्राड करने वाला अंतरराष्ट्रीय कॉल सेंटर मामले में वांछित चल रहे 02 प्रमुख क्लोजर/प्रबंधक अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।**
- **अभियुक्तों के कब्जे से 08 अदद लैपटॉप, 05 अदद मोबाइल फोन और ₹39,000/- नगद बरामद।**

01-संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 18.09.2026 को थाना अलीगंज पुलिस द्वारा नावेल्टी सिनेमा के पास स्थित रिध्या प्लाजा में संचालित फर्जी कॉल सेंटर पर छापेमारी की गई। पुलिस कार्रवाई के दौरान कॉल सेंटर में काम कर रहे 16 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना अलीगंज पर मु0अ0सं0 180/2026, धारा 3(5)/61(2)/318(4)/319(2)/336(3)/337/338/339/340(2) बीएनएस एवं धारा 66C/66D आईटी एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

02-वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी/पूछताछ

विवेचना के दौरान तकनीकी सर्विलांस एवं संदिग्ध मोबाइल नंबरों के विश्लेषण से अभियोग से संबंधित वांछित अभियुक्त देवेन्द्र सिंह तोमर तथा हिमांशु धर्मपाल चौहान के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई। दोनों से पूछताछ में उनके द्वारा शिवा उर्फ प्रियांशु कुशवाहा के साथ मिलकर रिध्या प्लाजा स्थित साइबर फ्राड करने वाला अंतरराष्ट्रीय कॉल सेंटर में कार्य करना बताया गया। पूछताछ में दोनों अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि पुलिस की छापेमारी से कुछ समय पूर्व वे शिवा उर्फ प्रियांशु के साथ कॉल सेंटर से निकल गए थे। कॉल सेंटर में उनका कार्य क्लोजर टीम के साथ-साथ टीम मैनेजमेंट तथा नए लड़के-लड़कियों को कॉल सेंटर में लाकर उन्हें काम सिखाना भी था।

03-पॉप-अप स्कैम की कार्यप्रणाली

पूछताछ में सामने आया कि गिरोह विदेशी नागरिकों, विशेषकर अमेरिका में रहने वाले लोगों को निशाना बनाता था। गिरोह द्वारा नामचीन कंपनियों जैसे Apple, Microsoft एवं Amazon की सेवाओं के नाम का दुरुपयोग करते हुए पीड़ित के मोबाइल/कंप्यूटर पर फर्जी पॉप-अप एवं अलर्ट प्रदर्शित कराए जाते थे। इन फर्जी पॉप-अप में कंप्यूटर में वायरस/साइबर खतरे, बैंक खाते अथवा वॉलेट में अनधिकृत लेन-देन एवं डेटा लीक होने जैसी चेतावनियां प्रदर्शित की जाती थीं। साथ ही फर्जी कस्टमर सपोर्ट नंबर दिखाकर पीड़ित को उस नंबर पर संपर्क करने के लिए प्रेरित किया जाता था। पीड़ित द्वारा दिए गए नंबर पर कॉल करने के बाद कॉल को कई बार रिडायरेक्ट कर फर्जी कॉल सेंटर में मौजूद डायलर/एजेंट टीम तक पहुंचाया जाता था। एजेंट टीम द्वारा पीड़ित को उसके बैंक खाते/वॉलेट के हैक होने, अनधिकृत लेन-देन तथा व्यक्तिगत डेटा लीक होने की बात बताकर उसकी व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त की जाती थी।

इसके बाद कॉल को क्लोजर/वेरीफायर टीम को ट्रांसफर कर दिया जाता था। कॉल सेंटर की क्लोजर टीम द्वारा पीड़ित से संपर्क करने के बाद उसे बताया जाता था कि उसके कंप्यूटर/अकाउंट की सिक्योरिटी स्कैन एवं वायरस चेक किया जा रहा है। इसके बाद पीड़ित को फर्जी सिक्योरिटी जांच के नाम पर बताया जाता था कि उसके अकाउंट अथवा कंप्यूटर से Pornography, Child Pornography, Drug Smuggling अथवा अन्य आपराधिक गतिविधियों से संबंधित आपत्तिजनक गतिविधियां पाई गई हैं।

इस प्रकार की जानकारी देकर पीड़ित को भयभीत किया जाता था। जब पीड़ित इन गतिविधियों में शामिल होने से इन्कार करता था तो उससे उसका Social Security Number मांगा जाता था तथा बताया जाता था कि Social Security Number अमेरिका में अत्यंत महत्वपूर्ण पहचान संख्या है और इसका आपराधिक गतिविधियों में उपयोग पाए जाने पर उसके विरुद्ध गंभीर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इसके बाद पीड़ित को बताया जाता था कि यदि उक्त समस्या का तत्काल समाधान नहीं किया गया तो उसका Social Security Number Suspend किया जा सकता है तथा उसके स्थान पर नया Social Security Number जारी करने की प्रक्रिया करनी होगी। पीड़ित को यह भी भय दिखाया जाता था कि Social Security Number के निलंबित होने की स्थिति में उसका बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है और उसकी धनराशि तक पहुंच प्रभावित हो सकती है। भयभीत पीड़ित को धनराशि सुरक्षित रखने अथवा कथित जांच की प्रक्रिया पूरी करने के नाम पर अपने बैंक खाते में उपलब्ध धनराशि को कॉल सेंटर द्वारा बताए गए माध्यम से ट्रांसफर करने के लिए कहा जाता था। इस प्रकार पीड़ितों से कैश, गोल्ड, बैंक ट्रांसफर अथवा क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से धनराशि प्राप्त की जाती थी।

04-बरामदगी :

- 08 अदद लैपटॉप
- 05 अदद मोबाइल फोन
- 39000 हजार रू नगद
- एक लग्जरी महिन्द्रा XUV 700 कार
- 01 अदद पेनड्राइव

05-गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण :

01. देवेन्द्र सिंह तोमर पुत्र रामबीर सिंह तोमर, उम्र करीब-41 वर्ष, निवासी 24/118 अरविन्द नगर सोसायटी, भार्गव रोड, मैघानी नगर, जिला अहमदाबाद गुजरात।

02. हिमांशु धर्मपाल चौहान पुत्र धर्मपाल शिवमंगल सिंह चौहान, उम्र-करीब 29 वर्ष, निवासी-डी 90 जय योगेश्वर सोसायटी, न्यू समा, जिला बडोदरा, गुजरात

अभियुक्तों से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ एवं डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर इस संगठित अंतरराष्ट्रीय साइबर ठगी नेटवर्क से जुड़े अन्य व्यक्तियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।

06-अभियुक्त हिमांशु धर्मपाल चौहान उपरोक्त का अपराधिक इतिहास-

अभियुक्त हिमांशु धर्मपाल चौहान के विरुद्ध थाना साइबर क्राइम, गोवा में मु0अ0सं0 0046/2025, धारा 3(5)/319(2) बीएनएस एवं 66D आईटी एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत होना पाया गया है। दस्तावेज़ के अनुसार इस मामले में उसके साथ अन्य अभियुक्तों के भी शामिल होने की जानकारी है।

07-अभियुक्त देवेन्द्र सिंह तोमर उपरोक्त का अपराधिक इतिहास

अभियुक्त देवेन्द्र सिंह तोमर के विरुद्ध थाना इको पार्क, कोलकाता, पश्चिम बंगाल में मु0अ0सं0 0019/2025, धारा 318(4)/319(2)/336(3)/336(4)/338/340(2)/61(2) बीएनएस एवं 66C/66D आईटी एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत होना पाया गया है। दस्तावेज़ के अनुसार उक्त मामले में अभियुक्त 78 दिन डम डम सेंट्रल जेल में निरुद्ध रहा है।

08-आगे की कार्रवाई-प्रकरण में उपलब्ध तकनीकी साक्ष्यों, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से प्राप्त डेटा, कॉल डिटेल एवं अन्य तथ्यों का विश्लेषण किया जा रहा है। गिरोह के अन्य सदस्यों, इसके संचालन एवं साइबर ठगी से प्राप्त धनराशि के नेटवर्क के संबंध में भी जांच जारी है। पुलिस द्वारा अन्य राज्यों में पूर्व में संचालित कॉल सेंटरों एवं वहां दर्ज अभियोगों के संबंध में संबंधित पुलिस इकाइयों से समन्वय कर आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा रही है।

09-पूर्व में संचालित कॉल सेंटर

पूछताछ में गिरोह द्वारा पूर्व में विभिन्न स्थानों पर इसी प्रकार की गतिविधियां संचालित करने की जानकारी सामने आई है—

1. साउथ गोवा, राज्य गोवा — इस संबंध में थाना साइबर क्राइम गोवा में अभियोग पंजीकृत है।
2. कोलकाता/न्यूटाउन, पश्चिम बंगाल — थाना इको पार्क कोलकाता में अभियोग पंजीकृत है।
3. वाराणसी, उत्तर प्रदेश — पुलिस को गतिविधि की जानकारी मिलने पर कॉल सेंटर बंद कर दिया गया था।
4. लखनऊ, विभूति खण्ड/गोमतीनगर — पुलिस द्वारा कॉल सेंटर पर छापेमारी की सूचना मिलने पर इसे बंद कर अभियुक्तों के भाग जाने की जानकारी सामने आई है।

10-गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण :

<table>
<tr>
<td>

थाना अलीगंज पुलिस टीम

- प्रभारी निरीक्षक श्री ध्रुव कुमार थाना अलीगंज लखनऊ
- निरीक्षक शिवशंकर महादेवन थाना अलीगंज, लखनऊ
- उ0नि0 अंकुर आनन्द थाना अलीगंज लखनऊ
- उ0नि0 शेषमणि मिश्र थाना अलीगंज लखनऊ
- उ0नि0 शिवम पाण्डेय थाना अलीगंज लखनऊ
- उ0नि0 अभिषेक राय थाना अलीगंज लखनऊ
- उ0नि0 अमित कुमार थाना अलीगंज लखनऊ
- उ0नि0 प्रशान्त कुमार सिंह थाना अलीगंज लखनऊ
- उ0नि0 शुभम तिवारी थाना अलीगंज लखनऊ
- उ0नि0 लालमणि गुप्ता थाना अलीगंज लखनऊ
- हे0का0 धीरेन्द्र प्रताप सिंह थाना अलीगंज लखनऊ
- कां0 सत्यवीर सिंह थाना अलीगंज लखनऊ
- का0 संजेश यादव थाना अलीगंज लखनऊ
- का0 7458 विपिन कुमार वर्मा थाना अलीगंज लखनऊ
- का0 सुनील कुमार मौर्या थाना अलीगंज लखनऊ
- का0 ओम शिव चाहर थाना अलीगंज लखनऊ
- का0 विनोद कुमार सरोज थाना अलीगंज लखनऊ
- का0 रोहित कुमार थाना अलीगंज लखनऊ
- का0 मिन्टू कुमार थाना अलीगंज लखनऊ
- का0 दीपेश कुमार थाना अलीगंज लखनऊ
- का0 नगेन्द्र कुमार थाना अलीगंज लखनऊ
- म0का0 सारिका यादव थाना अलीगंज लखनऊ
- म0का0 रामा देवी थाना अलीगंज लखनऊ
- म0का0 प्रीति वर्मा थाना अलीगंज लखनऊ

</td>
<td>

1.स्वाट/सर्विलांस टीम प्रभारी उ0नि दीपक कुमार
2. हे0का0 अवधेश गिरी
3. हे0का0 नदीम
4. हे0का0 संतोष कुमार
5. हे0का0 अमित कुमार गौतम
6. का0 राघवेन्द्र प्रताप सिंह
7. का0 विशेष दुहूण
8. का0 अमन शुक्ला

साइबर सेल कमिश्नरेट लखनऊ

- उ0नि0 श्री प्रशांत वर्मा
- उ0नि0 श्री किशोर कुमार
- हे0का0 गौरव शुक्ला
- हे0का0 अखिलेश पटेल
- हे0का0 आलोक सिंह
- म0हे0का0 दिव्या दूबे
- का0 आमिर खान
- का0 अभिषेक गौतम

</td>
</tr>
</table>

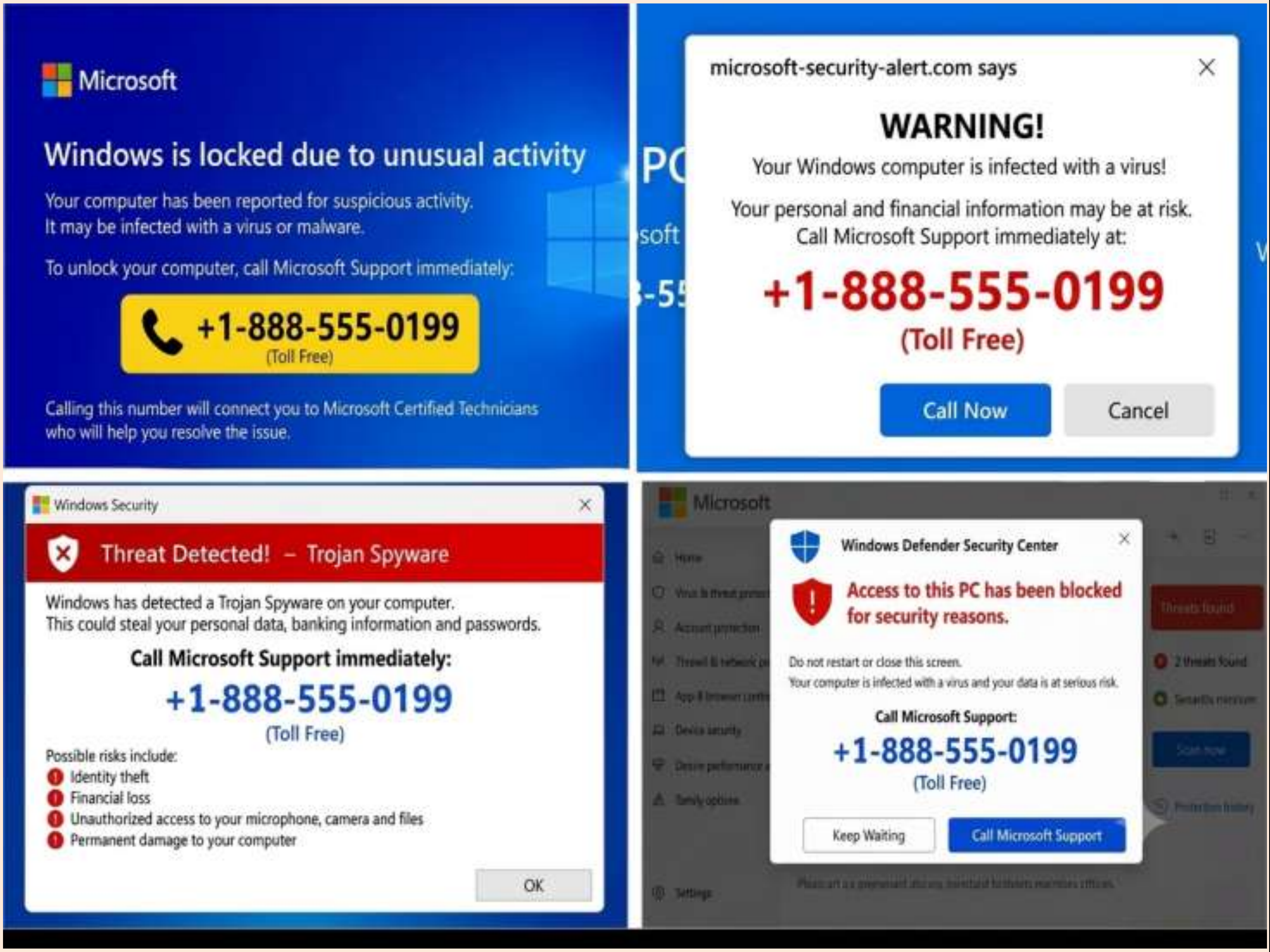

11-पुलिस की अपील:

जनसामान्य किसी भी अनजान पॉप-अप, फर्जी वायरस/साइबर सिक्योरिटी अलर्ट अथवा कस्टमर सपोर्ट नंबर पर विश्वास न करें। किसी भी व्यक्ति को फोन पर बैंकिंग विवरण, पासवर्ड अथवा अन्य संवेदनशील जानकारी साझा न करें। किसी कंपनी अथवा सरकारी संस्था के नाम पर भय उत्पन्न कर धनराशि, गिफ्ट कार्ड या क्रिप्टो करेंसी की मांग किए जाने पर तत्काल सतर्क रहें और संबंधित साइबर अपराध की सूचना पुलिस को दें।